**सूचना**

 **ई-वेस्ट/अनुपयोगी/तकनीकी रूप से अप्रचलित/आर्थिक मरम्मत से परे आईटी उपकरणों को एकत्र करने का प्रस्ताव**

सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय जाखू हिल्स शिमला में (संलग्न सूची के अनुसार),

कुछ ई-वेस्ट/अनुपयोगी/तकनीकी रूप से अप्रचलित/आर्थिक मरम्मत से परे आईटी उपकरणों की "जैसा है जहां है" के आधार पर नीलामी की जाएगी |

 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई- वेस्ट के पंजीकृत रिसाइक्लर / प्रीप्रोसेसर को, एनओसी / पंजीकरण प्रमाण पत्र और किसी भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के साथ, ई-वेस्ट संग्रह एजेंसियों को आमंत्रित किया जाता है।

 अप्रचलित कंप्यूटरों और आईटी उपकरणों की कुल संख्या 16 है (सूची अनुबंध ए में दी गई है)। इच्छुक एजेंसियां ​​04.08.2023 को या उससे पहले विद्यालय का दौरा कर सकती हैं। उपर्युक्त दस्तावेज़ 10.08.2023 को या उससे पहले विद्यालय में (ईमेल द्वारा/हाथ से) जमा किए जाने चाहिए। नीलामी 10.08.2023 को सुबह 11:00 बजे वीईसी (VEC) की उपस्थिति में विद्यालय में आयोजित की जाएगी।

**संलग्नक:** ई-वेस्ट वस्तुओं की सूची

**वितरण / सूचनार्थ**

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन गुरूग्राम संभाग

2. अध्यक्ष, वीएमसी, केवी जाखू हिल्स शिमला

3. विद्यालय नोटिस बोर्ड

4. विद्यालय वेबसाइट

5. गुरूग्राम क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालय

 मोहित गुप्ता

 प्राचार्य

**नीलामी सूचना**

विद्यालय की कंप्यूटर लैब की निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निपटान 10.08.2023 को सुबह 11:00 बजे वीईसी (VEC) की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। सभी इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों को निश्चित तिथि व समय पर बोली के लिए एकत्रित होने के लिए सूचित किया जाता है। नीलामी हेतु वस्तुओं/सामग्रियों की स्थिति का निरीक्षण उक्त तिथि को प्रातः 10:30 से 11:00 बजे तक किया जा सकता है।

सबसे कम बोली राशि प्रिंसिपल द्वारा तय की जाएगी। उच्चतम बोली स्वीकार की जाएगी | उच्चतम बोली लगाने वाले को वस्तुएँ "जैसा है जहाँ है" के आधार पर दी जाएंगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बोली पूरी होने के बाद उसी दिन विद्यालय में पूरी राशि जमा करानी होगी।

 **नियम व शर्तें:**

1. बोली लगाने वाले को नीलामी के समय घोषित किये जाने वाले नियमों का पालन करना होगा।

2. आरक्षित मूल्य नीलामी के समय ही पता चलेगा।

3. यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ई.एम.डी. जब्त कर ली जाएगी और वस्तु अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच दी जाएगी।

4. इच्छुक बोली लगाने वाले को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 100/- रुपये नकद जमा करना होगा।

5. सफल बोली लगाने वाले को तीन कार्य दिवसों के भीतर अपने खर्चे पर ई-वेस्ट वस्तुओं को उठाना होगा ।

6. सफल बोली लगने के बाद कोई भी वस्तु किसी भी शर्त पर स्कूल द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया विद्यालय की वेबसाइट पर जाएँ। <https://shimla.kvs.ac.in/>

**वितरण / सूचनार्थ**

1. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन गुरूग्राम संभाग

2. अध्यक्ष, वीएमसी, केवी जाखू हिल्स शिमला

3. विद्यालय नोटिस बोर्ड

4. विद्यालय वेबसाइट

5. गुरूग्राम क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालय

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्रम संख्या | वस्तुओं का नाम (आईटी उपकरण) | मात्रा |
| 1 | कंप्यूटर सेट | 16 |